भूमिका एवं उत्तरदायित्व

साझा सहयोग

इस कार्यक्रम की सफलता, सरकारी विभागों, शोध एवं शिक्षण संस्थानों, पर्यावरण एवं विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न एजेन्सियों एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों की नोडल एजेन्सियों (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विज्ञान परिषद आदि) के सक्रिय सहयोग एवं समर्थन पर निर्भर करती है।

सहयोगी क्लस्टर एजेन्सियाँ (एन.जी.ओ.)

- शिक्षा विभाग एवं सी.ई.ई. के साथ परामर्श करके विद्यालयों का क्लस्टर तैयार करना।
- सी.ई.ई. द्वारा क्लस्टर एजेन्सी के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करना।
- कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण द्वारा तैयार करना।
- वर्षभर चलने वाली विद्यालयी गतिविधियों के क्रियान्वयन में संचालक की भूमिका निभाना।
- क्लस्टर गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग करना।
- कार्यक्रम के लम्बे समय तक संचालन को सुनिश्चित करने के लिए क्लस्टर स्तरीय संसाधन केन्द्र को स्थापित कर उसे संचालित करने में मदद करना।

शिक्षा विभाग

- क्लस्टर विद्यालयों का चयन एवं उनको प्रेरित करना।
- शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शिक्षकों को निर्देशित करना।
- विद्यालयी गतिविधियों के प्रभावी संचालन में मदद करना।

वन विभाग

- शैक्षणिक संसाधन सामग्री के विकास हेतु प्रजाति, पर्यावास एवं स्थानीय समुदाय से संबंधित वैज्ञानिक एवं शोध जानकारियों को उपलब्ध कराना।
- क्लस्टर विद्यालयी गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में विशेषज्ञ के तौर पर शामिल होना।
- अन्य संबंधित परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों तथा इस कार्यक्रम के मध्य सामंजस्य की संभावनाओं की पहचान करना।

पर्यावरण शिक्षण केन्द्र

- कार्यक्रम हेतु चार भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी, असमिया एवं बंगाली भाषा) में संसाधन सामग्री का विकास करना।
- उपयुक्त सहयोगी गैर सरकारी संस्थाओं का चयन एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उनकी क्षमता विकास करना।
- क्लस्टर स्तर पर गतिविधियों के संचालन हेतु सहयोगी संस्थाओं को धनराशि उपलब्ध कराना।
- सहयोगी क्लस्टर एजेन्सियों को स्कूली गतिविधियों, शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम व मेले के आयोजन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- परियोजना गतिविधियों का दस्तावेजीकरण, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग।
- सभी क्लस्टर एजेन्सियों हेतु क्षेत्रीय डॉल्फिन कैम्प का आयोजन।

गंगा डॉल्फिन के पाए जाने के क्षेत्र एवं परियोजना क्षेत्र

उत्तर प्रदेश

गंगा	घाघरा	चंबल	गिरवा
बुलन्दशहर फर्रूखाबाद कन्नौज कानपुर इलाहाबाद मिर्जापुर वाराणसी गाजीपुर	फैजाबाद	इटावा (चम्बल वन्यजीव विहार)	बहराइच (कतरनियाघाट वन्यजीव विहार)

मध्य प्रदेश

चंबल	ग्वालियर (चम्बल वन्यजीव विहार)

बिहार

गंगा	गंडक	कोसी
बक्सर भोजपुर पटना भागलपुर (विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन विहार)	पश्चिमी चम्पारण गोपालगंज पूर्वी चम्पारण सारन वैशाली	अररिया सुपौल सहरसा मधेपुरा पुर्णिया

झारखण्ड

गंगा	साहिबगंज

पश्चिम बंगाल

गंगा	हुगली
कोलकाता, मुर्शिदाबाद	हुगली, 24 परगना

असम

ब्रह्मपुत्र	सुबनसिरी	डिब्रू	कुल्सी
गुवाहाटी ग्वालपारा बिश्वनाथ	सुबनसिरी	तिनसुकिया	कुकुरमारा

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे की एक नोडल एजेन्सी है, जिसका कार्य भारत के पर्यावरणीय एवं वन संबंधी नीतियों व कार्यक्रमों का नियोजन, प्रोत्साहन, समन्वयन एवं इसके क्रियान्वयन की सम्पूर्ण देख–रेख करना है। वनस्पतियों, जीव–जन्तुओं, वनों एवं वन्यजीवों के संरक्षण एवं सर्वेक्षण के साथ–साथ प्राणियों के हितों को सुनिश्चित करना मंत्रालय के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) के अंर्तगत् एक पहल के रूप में मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया तथा संरक्षण से संबंधित कार्यवाही योजना के विकास हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। गंगा डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम इस योजना के प्रमुख कार्यवाही बिन्दुओं में से एक है।

पर्यावरण शिक्षण केन्द्र (सी.ई.ई.), पर्यावरण एवं टिकाऊ विकास से संबंधित कार्यक्रमों के विकास एवं संरक्षण के प्रति जागरूक करने हेतु संसाधन सामग्रियों के विकास के क्षेत्र में कार्यरत एक राष्ट्रीय संस्था है। सी.ई.ई., वर्ष 1984 में स्थापित, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समर्थित एक उत्कृष्ट राष्ट्रीय संस्था है, जो नेहरू विकास प्रतिष्ठान से संबद्ध है।

www.ceeindia.org

सी.ई.ई. के उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना अक्टूबर 1995 में लखनऊ में की गयी। इस कार्यालय का प्रमुख कार्य, पर्यावरण शिक्षा से संबंधित क्षेत्रीय कार्यक्रमों का आयोजन एवं संसाधन सामग्रियों का विकास करना है। सी.ई.ई. उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, नदियों एवं गंगा डॉल्फिन संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन इसकी स्थापना के समय से ही करता आ रहा है।

परियोजना कार्यालय - सी.ई.ई. उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय
19/323, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226 016 उत्तर प्रदेश
दूरभाष: 0522 2716628, फैक्स: 0522 2716570
ई–मेल: ceenorth@ceeindia.org

गंगा डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम

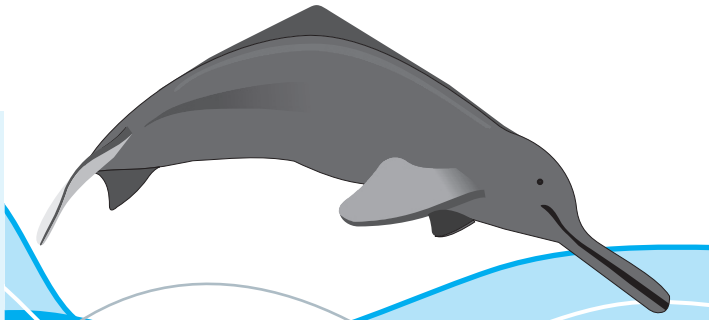

सत्यमेव जयते

जहां है हरियाली । वहां है खुशहाली ।।

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

CEE
Centre for Environment Education

गंगा डॉल्फिन

गंगा डॉल्फिन (*Platanista gangetica*) को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। इसे *सोंस* या *सुसु* के नाम से भी जाना जाता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, कर्णफुली–सांगु एवं मेघना नदी तंत्र व इसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। सुसु की वर्तमान आबादी, छोटे–छोटे समूहों के रूप में भारत, बांग्लादेश, नेपाल व भूटान में हिमालय की घाटियों से ज्वारीय क्षेत्रों तक में वितरित है।

सुसु पल भर में ही पानी में ओझल हो जाने वाली जलीय स्तनधारी जीव है। इसकी उपस्थिति नदी के अच्छे स्वास्थ्य का सूचक है। कुछ वर्षों पहले तक, गंगा नदी में इनकी संख्या काफी अधिक थी, परन्तु अब इनकी संख्या में भारी गिरावट आयी है। वर्तमान में भारत में मौजूद, इनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 1200 से 2000 है।

इस स्तनधारी प्रजाति के विलुप्त होने का प्रमुख कारण इसके नदी संबंधी पर्यावास का क्षरण एवं मानवों द्वारा इनका शिकार है। गंगा नदी तंत्र, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। इसके अलावा इस क्षेत्र में विश्व की जनसंख्या का दसवाँ भाग बसता है, जिसके कारण नदी से जुड़े अमूल्य संसाधनों को अत्यधिक दबाव भी सहना पड़ता है।

गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर मंडराने वाला प्रमुख खतरा सिंचाई एवं बिजली उत्पादन हेतु नदियों पर बांध का निर्माण, तेल का अन्वेषण, नदियों के भीतर का ध्वनि प्रदूषण है, जिसके कारण इनकी आबादी अलग–अलग हो जाती है और इससे इनके मौसमीय प्रवासन में भी बाधा आती है। अन्य खतरों के अर्न्तगत रासायनिक प्रदूषण, नौका यातायात, शिकार एवं मानवीय हस्तक्षेप के साथ–साथ, इनका मछली पकड़ने वाले प्लास्टिक एवं नायलॉन के जालों में आकस्मिक उलझ जाना आदि शामिल है। इस प्रजाति का शिकार तेल, मछलियों हेतु चारे तथा स्थानीय समुदाय के भोजन के लिए होता है।

गंगा डॉल्फिन, जो विश्व में पायी जाने वाली चार स्वच्छ जलीय डॉल्फिनों में से एक है, आज विलुप्ति की कगार पर है तथा इसे वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम-1972 की अनुसूची-1 की श्रेणी में रखा गया है। इसे IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में ''गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी'' में रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसे CITES के परिशिष्ट/अपेन्डिक्स 1 में भी सूचीबद्ध किया गया है।

'जो महत्व बाघ का जंगल में है, वही डॉल्फिन का नदी में है'।

गंगा डॉल्फिन, नदी की खाद्य–शृंख्ला में सर्वोच्च स्थान रखती है और नदी के पारितंत्र के आवश्यक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ दशकों में इनकी घटती हुई संख्या चिन्ता का विषय बनी हुई है। नदी पारितंत्र की इस प्रमुख प्रजाति को बचाने का अर्थ केवल इस प्रजाति को व इसी प्रकार की नदी की अन्य संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण करना ही नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का आधार 'नदियों' को बचाना भी है। अब यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि हम इसके नदी पर्यावास की स्थिति को बेहतर बनाएं ताकि इस संकटग्रस्त प्रजाति की संरक्षण स्थिति में सुधार हो सके।

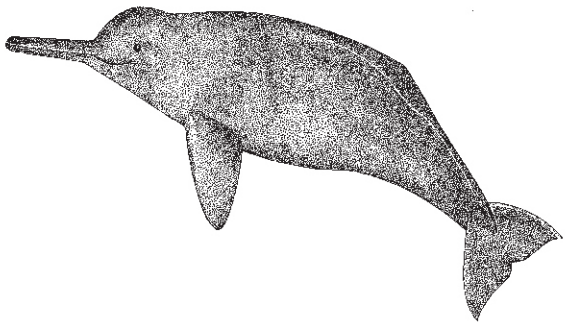

संरक्षण के प्रयास

देशभर में विभिन्न एजेन्सियों द्वारा शोध अध्ययनों, क्षमता विकास, क्षेत्र स्तर पर की जा रही परियोजनाओं आदि पर आधारित कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हालांकि, हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि सरकारी निकायों/एजेन्सियों द्वारा लागू किए जा रहे नियमों एवं प्रयासों द्वारा संरक्षण संबंधी लक्ष्यों को तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जब तक कि इन प्रयासों को स्थानीय स्तर पर जनमानस का समर्थन प्राप्त न हो।

इस अनूठी प्रजाति के संरक्षण के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हम सभी को इस जीव के बारे में, इनके जीवनचक्र, विशेषताओं एवं पर्यावास आदि के बारे में अच्छी समझ हो। जब तक लोग यह नहीं जानेंगे कि गंगा डॉल्फिन का संरक्षण क्यों आवश्यक है तब तक इसके संरक्षण के सभी प्रयास सफल नहीं हो पायेंगे। शैक्षणिक एवं जागरुकता कार्यक्रम की सहायता से जनमानस को संबंधित विषय पर पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के साथ–साथ उन्हें संवदेनशील बनाने में मदद मिलती है। गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए विद्यालयी शिक्षा एवं संबंधित हितधारकों को शामिल करना, जनजागरुकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों का एक प्रमुख घटक है।

गंगा डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम

पर्यावरण शिक्षण केन्द्र ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से गंगा डॉल्फिन व उसके अस्तित्व के लिए आवश्यक नदी पारितंत्र के संरक्षण के लिए एक द्विवर्षीय जनजागरुकता एवं शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरुआत की है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तर, पूर्वी एवं उत्तर–पूर्वी भारत के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आस–पास के क्षेत्रों में किया जा रहा है जहाँ गंगा डॉल्फिन पायी जाती है।

इस कार्यक्रम के अंर्तगत प्रमुख रूप से विद्यालयों के शिक्षकों एवं छात्रों को शामिल करते हुए, वर्षभर संरक्षण से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा तथा इसके माध्यम से समुदाय, जिसमें मछुआरा समूह भी शामिल है, तक संरक्षण संबंधी संदेशों को भी पहुँचाया जाएगा। कार्यक्रम के अंर्तगत विद्यालयों एवं जनमानस हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री का विकास कर इसका प्रचार–प्रसार भी किया जाएगा।

सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री

- विद्यालयी स्तर पर कार्यक्रम को संचालित करने में शिक्षकों की मदद करने के लिए सूचना एवं गतिविधि आधारित पुस्तिका।
- कक्षा में प्रदर्शन हेतु सामग्री
- छात्रों हेतु संसाधन सामग्री
- एन.जी.ओ. हेतु निर्देशिका

कार्यक्रम का क्रियान्वयन

इस कार्यक्रम का संचालन ऐसे स्थानीय एन.जी.ओ. की मदद से किया जाएगा, जो पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखते हों।

- एन.जी.ओ. एवं 20 परियोजना क्षेत्रों का चयन (संचालनः सी.ई.ई.)
- एन.जी.ओ. का प्रशिक्षण
- परियोजना क्षेत्रों में विद्यालयों का चयन (20 परियोजना क्षेत्र)
- एन.जी.ओ.–विद्यालय क्लस्टर का निर्माण (25 विद्यालयों हेतु 1 एन.जी.ओ.)
- क्लस्टर स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण (सी.ई.ई. के सहयोग से एन.जी.ओ. द्वारा)
- वर्षपर्यन्त चलने वाली विद्यालयी गतिविधियाँ (प्रशिक्षित शिक्षकों एवं क्लस्टर एन.जी.ओ. द्वारा)
- क्लस्टर स्तर पर गंगा डॉल्फिन मेला का आयोजन (एन.जी.ओ.–सी.ई.ई. द्वारा)
- क्षेत्रीय गंगा डॉल्फिन कैम्प

विद्यालय गतिविधियाँ

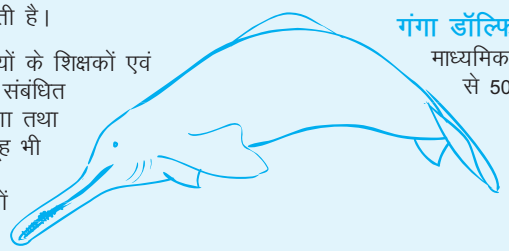

गंगा डॉल्फिन क्लब का निर्माण

माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लगभग 30 से 50 छात्रों का एक समूह तैयार करना।

कक्षा स्तरीय गतिविधियाँ

कक्षावार गतिविधियाँ, जो प्रजाति विशेष एवं उसके आवास तथा उस पर पड़ने वाले खतरों पर केन्द्रित हो। गतिविधियों का संचालन संसाधन सामग्री एवं स्थानीय एन.जी.ओ. की मदद से प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा किया जाएगा।

सम्पूर्ण विद्यालय को शामिल करना

बुलेटिन बोर्ड और/या प्रार्थना सभा के माध्यम से, विशेषज्ञों को आमंत्रित कर एवं विद्यालय के शैक्षणिक सत्र में पर्याप्त अवसर निकालकर मुद्दों एवं संदेशों का प्रचार–प्रसार करना।

समुदाय तक पहुँच

रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, मछुआरा समुदाय के साथ परिचर्चाओं, जनसंचार माध्यमों के उपयोग, वार्षिक क्लस्टर स्तरीय गंगा डॉल्फिन मेलों के आयोजन से जनमानस में जागरुकता का प्रचार–प्रसार करना।

गंगा डॉल्फिन शिक्षा के लिए संसाधन केन्द्र

विद्यालय के कार्यों, सूचना तथा आंकडों के संकलन आदि को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से विद्यालय में या एन.जी.ओ. में संसाधन केन्द्र तैयार करना।